राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक : न्याय/कोरोना/2020/22829 दिनांक26.04.2020

:: आदेश ::

भीलवाडा जिले में नोवल कोरोना वॉयरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है, साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ–साथ जिले के कुछ उपखण्ड क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा एव जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षैत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी हैं।

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, चित्तौड़गढ़ के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–79 (गुलाबपुरा चितौडगढ बाईपास) के निर्माण कार्य को पुनः प्रारम्भ करने की अनुमति कि लिए पत्र दिनांक 21.04.2020 से आवेदन दिया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.33 (2)गृह–9/2019 जयपुर दिनांक 15.04.2020 के बिन्दु संख्या 8(इ) के क्रम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ के आवेदन पर उन्हे रा.रा.–79 (गुलाबपुरा चितौडगढ बाईपास्) के निर्माण कार्य को पुनः प्रारम्भ करने की अस्थाई अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन जारी की जाती है :–

1. उक्त स्वीकृति पूर्णतया अस्थाई होगी एंव केन्द्र/राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार एंव शर्तों की अवहेलना अथवा अन्य कारणों से निरस्त की जा सकेगी ।
2. सड़क निर्माण कार्य सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाएगा ।
3. सडक् निर्माण कार्य सिर्फ ग्रामीण क्षैत्रो मे अर्थात् नगर निगमो/नगर परिषदो तथा नगर पालिकाओ की सीमाओ से बाहर किया जावेगा। निर्माण कार्य नगर परिषद क्षैत्र से कन्टेनमेन्ट एवं बफर जोन मे अनुमत नही है।
4. भीलवाडा जिले मे कर्फ्युग्रस्त क्षैत्रो एवं एपीसेन्टर के कन्टेनमेन्ट जोन मे निर्माण कार्य अनुमत नही है। (कर्फ्यु ग्रस्त क्षेत्रो की सूची संलग्न)
5. निर्माण श्रमिक एंव अन्य कार्मिकों को फेस मॉस्क का उपयोग/लगाना अनिवार्य होगा ।
6. **Social distance** के निर्धारित मापदण्डों अनुरूप निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा तथा लंच के दौरान भी कार्यरत श्रमिकों एंव कार्मिकों में सामाजिक दूरी बनाए रखी जाएगी ।
7. कार्य स्थल पर तापमान जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी, तथा कार्यस्थल पर श्रमिक/कार्यरत कार्मिकों को सैनेटाईजर्स उपलब्ध कराने होगें ।
8. सभी कार्मिको/श्रमिको के विभिन्न चरणो मे कॉविड–19 टेस्ट कराये जायेगें।
9. कार्मिको/श्रमिको की सूची संबधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करायेगें जिसमे संबधित का मूल निवास का पता व मोबाईल नम्बर अकिंत होंगा।
10. उक्त निर्माण कार्य से संबधित कार्मिको/श्रमिको व उनके वाहनो को केम्प से कार्यस्थल तक आने–जानें हेतु संबधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से स्वीकृति लेनी होगी।
11. दुपहिया वाहन पर एक सवारी तथा कार मे ड्राईवर के अतिरिक्त एक व्यक्ति ही अनुमत होगा।

—2—

12. कार्य स्थल पर पारियों के मध्य एक घंटे का अंतराल होगा ।
13. 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति और सहरूग्णता वाले व्यक्ति तथा ऐसे माता पिता जिनके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हों, को सड़क निर्माण कार्य पर नियोजित नही किया जाएगा ।
14. आम सतहों की बार–बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई की जानी होगी एंव इसके लिए संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।
15. केन्टिन/जलपान गृह मे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा ।
16. भारत सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में समय समय पर जारी की गई एडवॉयजरी एंव जिला स्तर से लागू धारा 144 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी ।
17. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार सभी व्यक्ति सामाजिक दुरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे, तथा सभी श्रमिको/कार्मिको का स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्य किये जाने की अनुमति होगी।
18. उक्त अनुमति के दौरान कार्य करने वाले व्यक्तियो को खांसी/जुकाम/बुखार व अन्य किसी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर कार्य स्थल से हटाया जाकर तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्क्रीनिग करवाई जाकर प्रदत्त निर्देशो की पालना की जावे।
19. गुटखा तम्बाकू के सेवन तथा थुकनें पर जुर्माने से दण्डनीय होगा।
20. सभी कार्मिको/श्रमिको को आरोग्य सेतु ऐंप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा।
21. उक्त निर्माण कार्य हेतु भीलवाडा जिले के बाहर से श्रमिको का आगमन प्रतिबंधित रहेगा।
22. निर्माण कार्य मे प्रयुक्त अनुमत वाहनो के अतिरिक्त अन्य वाहनो का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
23. निर्माण कार्य हेतु न्यूनतम श्रमिको को ही उपयोग मे लिया जावेगा।
24. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी गाईड लाईन दिनांक 17.04.2020 व अन्य प्रासंगिक निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावे।
25. कॉविड–19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशो का तथा **Social distance** एवं स्वास्थ्य से संबधित प्रॉटोकोल को फोलो करते हुए एनक्सर I – II मे दी गई मानक संचालन प्रक्रिया का कठोरता से पालन करना होगा। उपायो का उल्लंघन करने पर एवं उक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओ एवं **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act,** 1957 एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
03. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।

08. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में राज्य सरकार से जारी एडवाईजरी अनुसार उक्त प्रदत्त छूट के कम में संस्थान एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों की समुचित निगरानी रखने हेतु प्रेशित है।
11. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
12. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
13. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
14. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
15. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
16. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा।
17. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
18. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
19. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, चित्तौड़गढ़

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा